गलत मार्किंग पर नहीं बचेंगे गुरु जी

» एग्जाम के लिए तैयार एकेटीयू, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए गाइडलाइन जारी

lucknow@inext.co.in

LUCKNOW(26 Dec): उत्तर पुस्तिकाओं में होने वाली गड़बड़ियों और छात्रों के हितों का ध्यान में रखते हुए डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) ने 2015-16 में होने वाले एग्जाम को लेकर तैयारियां की हैं. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक छात्राओं के मार्क्स में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए शनिवार को परीक्षा केन्द्रों के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है. प्रधान परीक्षक रोजाना एक परीक्षक से 80 उत्तर पुस्तिकाएं ही मूल्यांकन के लिए दी जाए. मूल्यांकन की अवधि में फर्स्ट ईयर की एक हजार और अन्य किसी भी ईयर की 640 उत्तर पुस्तिकाएं किसी भी परीक्षक को जांच के लिए दी जा सकती हैं.

विश्वविद्यालय से परमीशन लेनी पड़ेगी

इसके अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका जांच के लिए देने पर विश्वविद्यालय से परमीशन लेनी पड़ेगी. प्रधान परीक्षक कम से कम 10 प्रतिशत मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन करता है. ऐसे में प्रधान परीक्षक को 40 उत्तर पुस्तिकाओं के हर पैकेट के कम से कम एक अधिकतम प्राप्तांक वाली और एक न्यूनतम प्राप्तांक वाली उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन करना अनिवार्य है. प्रधान परीक्षक को विश्वविद्यालय को दी जाने वाली रिपोर्ट में यह उल्लेख करना होगा कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्याकंन पूछे गए प्रश्नों के अनुसार ही किया गया है. विश्वविद्यालय ने यह भी निर्णय लिया गया है कि मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की रैंडम सैम्पलिंग के तहत मूल्यांकन किया जाएगा. ऐसे में यदि कहीं गड़बड़ी मिली तो परीक्षक के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. बताते चलें कि इस साल प्राविधिक विश्वविद्यालय में जब छात्रों को उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई जा रही थी, तब मूल्यांकन को लेकर विवाद हो गया. छात्रों ने कई परीक्षकों पर सवालिया निशान लगा दिया. साथ ही यह भी आरोप लगाया कि उत्तर पुस्तिकाओं में लिखे कई उत्तर सही है जबकि परीक्षक ने उन्हें ठीक ढंग से देखा ही नहीं है.

परीक्षक को हो तीन साल का अनुभव

मीडिया इंचार्ज आशीष मिश्र के अनुसार उत्तर पुस्तिका की जांच से पहले प्रश्न पत्रों के सोल्यूशन्स, संशोधन और अन्य अपेक्षित निर्देश विश्वविद्यालय की स्वीकृत पर रख ली जाए, जिससे मूल्यांकन केन्द्रों पर विषयगत एकरूपता बनी रहे. परीक्षक के पास कम से कम तीन वर्ष अनुभव होना जरूरी है. यदि कोई शिक्षक परास्नातक या पीएचडी उपाधि धारक है और उसके पास एक साल का शैक्षणिक अनुभव को परीक्षक कार्य के लिए योग्य माना जाए.